कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगपुरा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 73 / अतिथि व्याख्याता / 2024 नगपुरा, दिनांक 13 / 07 / 2024

अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के पदो के लिये आवेदन

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 574 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54 / स्था. / 2020 / 38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 / 06 / 2024 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के अंतर्गत नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगपुरा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) के रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों के विरूद्ध अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनाक 22.07.2024 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर कार्यालय से पावती प्राप्त कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया **"अतिथि व्याख्याता नीति–2024"** के परिपालन में किया जाएगा।

रिक्त पद एवं संख्या			
क्रं.	विषय	सहायक प्राध्यापक	रिमार्क
1	**राजनीतिशास्त्र**	**1**	
2	**भौतिकशास्त्र**	**1**	
3	**गणित**	**1**	
4	**वनस्पतिशास्त्र**	**1**	
5	**रसायनशास्त्र**	**1**	
6	**वाणिज्य**	**1**	

नोट :– विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट (https://rablcollege.ac.in) में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी)
प्रभारी प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगपुरा
जिला– दुर्ग (छ.ग.)

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता–

1 अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयो में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) सबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य विषय से संबधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एव दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3 आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/ अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

4 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5 विषय / पदों का विवरण

क्रमांक	**विषय**	**रिक्त पद एवं संख्या**		
		सहायक प्राध्यापक	**ग्रंथपाल**	**क्रीड़ा अधिकारी**
1	**राजनीतिशास्त्र**	1	0	0
2	**भौतिकशास्त्र**	1	0	0
3	**गणित**	1	0	0
4	**वनस्पतिशास्त्र**	1	0	0
5	**रसायनशास्त्र**	1	0	0
6	**वाणिज्य**	01	0	0

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी–एच. डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 22.07.2024 तक कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक डाक के माध्याम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेंगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेंगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्याम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेंगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 29.07.2024 को महाविद्यालय की नोटिस बोर्ड एवं शासकीस रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) की वेबसाईट https://rablcollege.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुकम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 01.08.2024 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 05.08.2024 तक महाविद्यालय की नोटिस बोर्ड एवं शासकीस रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) की वेबसाईट https://rablcollege.ac.in तथा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यार्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है. तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400 /–	300 /–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 /– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 /–	350 /–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 /– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400 /– (30,500/– प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि	1600 /– (40,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगपुरा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड–491001 एवं आवेदित विषय/पद आवशयक रुप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का सचालन, साहित्यिक एवं सास्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधिया, युवा उत्सव, आतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्याकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी)
प्रभारी प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगपुरा
जिला– दुर्ग (छ.ग.)